

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर**  
क्रमांक:-नर्सिंग / 332-23986 / जो.जयपुर / 2023 / 78

दिनांक:- 9.2.24.

**आदेश**

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1965 के नियम 31 एवं 31 ए में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित नर्सिंग कर्मियों का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये पर राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि से स्थाई किया जाता है -

| क्र.स. | कर्मचारी का नाम                           | पदस्थापन स्थान                          | जन्म तिथि  | प्रथम नियुक्ति तिथि |
|--------|---|---|------------|---------------------|
| 1.     | सावित्री देवी<br>म.स्वा.दर्शिका           | महिला चिकित्सालय<br>सांगानेरी गेट जयपुर | 14.10.1963 | 19.03.1994          |
| 2.     | मिनी सबास्टियन<br>कोटियल<br>नर्सिंग ऑफीसर | सवाई मानसिंह<br>चिकित्सालय, जयपुर       | 21.09.1975 | 26.11.1998          |
| 3.     | शाईनी जोन<br>नर्सिंग ऑफीसर                | राजकीय कॉलेज<br>ऑफ नर्सिंग जयपुर        | 25.05.1977 | 24.11.1998          |

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / 332-23986 / जो.जयपुर / 2023 / 78  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 9.2.24.

1. समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी ।
2. डी.पी.सी (अराजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
5008748

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>.  
Digitally Signed by Suresh  
Kumar Naval  
Designation : Director  
Date :07-02-2024 03:31:52